सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 16/2008 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2008/00007

अनवान

1. श्री अन्ना पिता जालमा डूंगरी निवासी झांझर की पाल, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री वसा उर्फ वछा पिता भेरा डूंगरी निवासी झांझर की पाल, तह झाडोल, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मोहनलाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 10-05-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा झांझर की पाल, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 178 क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के नाम दिनांक 01.12.2005 को विधि एवं नियमों के विपरित किया गया है। उक्त आवंटन आदेश विधिक प्रक्रियाओं को अपनाये बिना किया गया है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपने पास उपलब्ध खातेदारी में दर्ज भूमि का विवरण अंकित नही किया है। विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से ही खातेदारी भूमि स्थिति थी अर्थात विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नही था। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से अपने बाप–दादाओं के समय से भी पुराना कब्जा चला रहा है एवं उक्त भूमि को मेहनत कर एवं आर्थिक लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। आवंटन नियम 20 के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन प्रार्थी को ही किया जाना चाहिये था, किन्तु नियमों की अनदेखी कर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन से पूर्व भूमि का मौका देखा जाना एवं धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1958 के तहत कार्यवाही की जाना आवश्यक है। आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नही हुयी और न ही उद्घोषणा को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण न होते हुये भी उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यालय में ही की गयी है।

इस प्रकार उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 01.12.2005 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया, किन्तु विपक्षी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार झाडोल से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार झाडोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2013–14/601 दिनांक 10.10.2013 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम झांझर की पाल, तहसील झाडोल की विवादित हाल खसरा संख्या 1661/178 रकबा 0.32 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 श्री वछा पिता भेरा भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर एक कच्चा आवसीय मकान प्रार्थी श्री अन्ना पिता जालमा भील द्वारा बनाया होकर उक्त भूमि पर उडद, चावल की काश्त की गयी है एवं शेष आराजी 0.25 हेक्टेयर मौके पर पडत है। तहसीलदार झाडोल से मामले की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी से आवंटन से सम्बन्धित मूल आवंटन पत्रावली संख्या 782/2005 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण न होना, तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा, विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन न होना, उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व धारा 91 की रसीद प्रार्थी के पास मौजूद होना, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट करना, उद्घोषणा जारी न होना, भौतिक कब्जा सुपुर्द न होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त की जाने की मांग की तथा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मिसप्रजेन्टटेशन एवं गलत तथ्यो पर आधारित आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

2018(1) आर.एल.डब्ल्यू. 675

2005 आर.आर.डी. 13

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्री वछा पिता भेरा भील द्वारा मौजा झाझर की पाल, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 178 रकबा 0.32 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के कोरम के निर्णय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो, अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी

झाडोल के हस्ताक्षर मौजूद है अर्थात आवंटन से पूर्व आवंटन कमेटी का कोरम अपूर्ण था एवं कोरम अपूर्ण होते हुये भी विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त मामले में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी विवादित आराजीत पर प्रार्थी का कब्जा होना पाया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी की पुरानी नकलों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन की श्रेणी में नही आता है एवं उसके द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये विवादित आराजीयात का स्वयं के नाम आवंटन करवाया है। प्रार्थी के पास धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जारी वर्ष 2003, 2004, 2005 की पेनाल्टी की रसीदे मौजूद है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित उक्त आराजियात पर आवंटन से पूर्व प्रार्थी का ही कब्जा था। आवंटन शर्तो की पालना करने पर खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जाते है, किन्तु मामले में आवंटी तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आज भी गैर खातेदार है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 को किया गया कथित आवंटन प्रथम दृष्टया मिसप्रजेन्टेशन के आधार पर किया जाना पाया जाता है एवं मिसप्रजेन्टेशन के आधार पर किये गये आवंटन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर मौजा झांझर की पाल, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 178 रकबा 0.32 हेक्टेयर पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा विपक्षी संख्या–1 श्री वसा उर्फ वछा पिता भेरा डूंगरी के पक्ष में जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 782/2005 से किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है एवं भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार को दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर